रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10082021-228890
CG-DL-E-10082021-228890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 224] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 10, 2021/श्रावण 19, 1943
No. 224] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 10, 2021/SHRAVANA 19, 1943

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2021

पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश

सं. 15/1/2017-पारेषण.—विद्युत अधिनियम, 2003 में पारेषण में प्रतिस्पर्धा की परिकल्पना की गई है और इसमें केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के साथ-साथ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा पारेषण लाइसेंस प्रदान करने का प्रावधान है।

2. 12 फरवरी, 2005 को अधिसूचित राष्ट्रीय विद्युत नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि वह-

"5.3.1 पारेषण प्रणाली को देश के लिए एक मजबूत और एकीकृत विद्युत प्रणाली विकसित करने के लिए पर्याप्त और समय पर निवेश तथा दक्ष और समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।

5.3.2 उत्पादन में नियोजित भारी वृद्धि और विद्युत बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए, पारेषण क्षमता को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है।

5.3.10 पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष तंत्र बनाए जाएंगे ताकि 2012 तक मांग को पूरी तरह से पूरा करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा सके।

5.8.1 आवश्यक क्षेत्र के विस्तार के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, निवेश का एक बड़ा हिस्सा भी निजी क्षेत्र से लाने की आवश्यकता होगी। अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों के लिए उद्योग के सभी क्षेत्रों में निवेश के लिए एक अनुकूल वातावरण का सृजन करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश की बाधा को दूर करता है। अधिनियम की धारा 63 में

विभिन्न खंडों में प्रतिस्पर्धी आधार पर आपूर्तिकर्ताओं की भागीदारी का प्रावधान है जो निजी क्षेत्र के निवेश को और प्रोत्साहित करेगा।

3. 28 जनवरी, 2016 को अधिसूचित टैरिफ नीति में अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि –

"5.3 केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी की सभी नई उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं का टैरिफ 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर निर्धारित किया जाना जारी रहेगा, जब तक कि मामला-दर-मामला आधार पर केंद्र सरकार द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

इसके अलावा, राज्य सरकार द्वारा एक सीमा से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं का विकास किया जाएगा, जिसका निर्णय एसईआरसी द्वारा किया जाएगा।''

4. राष्ट्रीय विद्युत नीति में उल्लिखित देश में पारेषण क्षमता के सुचारू और तीव्र विकास को सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा, अंतरराज्यीय/ अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

5. इन दिशानिर्देशों की समय-समय पर सभी पारेषण परियोजनाओं को दक्ष और किफायती तरीके से विकसित करने के मुख्य उद्देश्य के साथ समीक्षा की जाएगी।

परिप्रेक्ष्य, अल्पावधि और नेटवर्क योजनाएं

6. केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 38(2)(ख) के अनुसार अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करना होता है। अधिनियम की धारा 38 (2) (ग) के अनुसार, सीटीयू को उत्पादन स्टेशनों से लोड केंद्रों तक विद्युत के सुचारू प्रवाह के लिए अंतरराज्यीय पारेषण लाइनों की एक दक्ष, समन्वित और किफायती प्रणाली का विकास सुनिश्चित करना है।

7. अधिनियम की धारा 73 (क) के अनुसार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को "राष्ट्रीय विद्युत नीति से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देना है, विद्युत व्यवस्था के विकास के लिए अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करना है और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हितों को पूरा करने और सभी उपभोक्ताओं के लिए विश्वसनीय और सस्ती विद्युत प्रदान करने के लिए संसाधनों के अनुकूलन उपयोग के लिए योजना एजेंसियों की गतिविधियों का समन्वय करना है।

8. विद्युत अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 4 के अनुसार, केविप्रा को राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार राष्ट्रीय विद्युत योजना तैयार करनी होती है।

9. राष्ट्रीय विद्युत नीति के पैरा 3.2 में प्रावधान है " केविप्रा अल्पकालिक और परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करेगा"।

10. राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुसार "केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (सीटीयू) और स्टेट पारेषण यूटिलिटी (एसटीयू) के पास अधिनियम में दी की गई सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वय में राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर नेटवर्क योजना और विकास की प्रमुख जिम्मेदारी है। " विद्युत अधिनियम की धारा 38(2) में अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित करती करती है:

"केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी के कार्य निम्नानुसार होंगे -

क. अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत का पारेषण करना;

ख. अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करने के लिए -

(i) राज्य पारेषण यूटिलिटियां;

(ii) केंद्र सरकार;

(iii) राज्य सरकारें;

(iv) उत्पादन कंपनियां;

(v) क्षेत्रीय विद्युत समितियां;

(vi) प्राधिकरण;

(vii) लाइसेंसी;

(viii) इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति"

विद्युत अधिनियम और राष्ट्रीय विद्युत नीति के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार नेटवर्क योजना तैयार की जाएगी।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित योजनाएँ तैयार की जाएँगी:

• केविप्रा द्वारा पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की जाएगी।

• केविप्रा द्वारा पांच साल की अवधि के लिए अल्पावधि योजना तैयार की जाएगी।

ये दोनों योजनाएं राष्ट्रीय विद्युत योजना का भाग हैं।

• राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर सीटीयू द्वारा नेटवर्क योजना तैयार की जाएगी।

नेटवर्क योजना, अल्प अवधि योजना और परिप्रेक्ष्य योजना को संबंधित संगठनों की वेबसाइटों पर होस्ट किया जाएगा, जिन्हें इन योजनाओं को तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।

12. नेटवर्क योजना की समीक्षा की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अद्यतन किया जाएगा लेकिन वर्ष में एक बार से अधिक नहीं। नेटवर्क योजना में नई लाइनों और सबस्टेशनों, मौजूदा लाइनों के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन और अंतरक्षेत्रीय पारेषण लाइनों के लिए परियोजनाएं शामिल होंगी। नेटवर्क योजना स्पष्ट रूप से परियोजना के दायरे, वोल्टेज स्तर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन अर्थात् एस/सी या डी/सी, कंडक्टर के कार्यात्मक विनिर्देशों आदि, पारेषण लाइन की लंबाई और सबस्टेशन के संभावित स्थान अथवा एचवीडीसी पारेषण लाइनों का कनवर्टर स्टेशन सहित डिजाइन विनिर्देशों जैसे व्यापक मानकों की स्पष्ट रूप से पहचान करेगी।

पारेषण संबंधी समितियां

13. विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 15/3/2017-ट्रांस दिनांक 4 नवंबर, 2019 और बाद में संशोधित संख्या 15/3/2018-ट्रांस-पीटी(5) दिनांक 20 मई 2021 के तहत पारेषण पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। समिति की संरचना इस प्रकार है:

1.	अध्यक्ष, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (केविप्रा)	अध्यक्ष
2.	सदस्य (पावर सिस्टम), केविप्रा	सदस्य
3.	सदस्य (आर्थिक और वाणिज्यिक), केविप्रा	सदस्य
4.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार@ में पारेषण का कार्य देख रहे संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी।	सदस्य
5.	सीएमडी, पोसोको	सदस्य
6.	निदेशक (ट्रांस), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
7.	मुख्य प्रचालन अधिकारी, केंद्रीय पारेषण यूटिलिटी (पावरग्रिड)	सदस्य
8.	सलाहकार, नीति आयोग#	सदस्य
9.	विद्युत क्षेत्र के दो विशेषज्ञ *	सदस्य
10.	मुख्य अभियंता (पावर सिस्टम विंग से), केविप्रा #	सदस्य सचिव

@ सचिव (एमएनआरई) द्वारा नामित किया जाएगा

नीति आयोग/केविप्रा द्वारा नामित किया जाएगा

* विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उनके नामांकन की तारीख से अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए पर नामित किया जाना।

14. इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय आदेश संख्या 15/3/2017-ट्रांस दिनांक 4 नवंबर, 2019 के तहत पांच (5) क्षेत्रीय विद्युत समितियों (पारेषण योजना) का भी गठन किया गया है।

समितियों की संरचना और संदर्भ की शर्तों (टीओआर) सहित आदेश अनुलग्नक-1 में संलग्न है। समितियों की संरचना और संदर्भ की शर्तें उसी प्रकार से होगी जैसा कि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायेगी।

परियोजना निर्माण

15. एक बार परिप्रेक्ष्य योजना, अल्पावधि योजना, नेटवर्क योजना तैयार हो जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं को प्रतिस्पर्धी बोली के लिए इस योजना के तहत कवर किया जाएगा। पारेषण क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए, नई परियोजनाओं और उनकी तकनीकी और अन्य विनिर्देशों के बारे में सभी जानकारी हितधारकों को उपलब्ध कराने में समर्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद इन परियोजनाओं को पर्याप्त विवरण के साथ निर्माण करने की आवश्यकता होगी ताकि प्रतिस्पर्धी बोली लगाई जा सके। इन परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रोफाइल (पीपी) सीईए के परामर्श से सीटीयू द्वारा तैयार किया जाएगा। बोली दस्तावेजों में परियोजना प्रोफाइल और सर्वेक्षण रिपोर्ट भी शामिल होगी। परियोजना प्रोफाइल (पीपी) में लाइन के संबंध में सुसंगत डेटा अर्थात वोल्टेज स्तर, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात् एस/सी या डी/सी, कंडक्टर आदि के कार्यात्मक विनिर्देश और सबस्टेशन या कनवर्टर स्टेशनों के कार्यात्मक विनिर्देश (एचवीडीसी लाइन के मामले में) होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट में मार्ग की अनुमानित लंबाई, इलाके के प्रकार, अधिकतम ऊंचाई , बर्फीले क्षेत्र , पवन क्षेत्र, वन/वन्यजीव उल्लंघन, लुप्तप्राय प्रजातियों के पर्यावास का उल्लंघन, आसपास के नागरिक और सेना हवाई अड्डे, मार्ग में आने वाली प्रमुख नदी/समुद्री क्रॉसिंग और कोयला/खनिज खनन क्षेत्रों और सबस्टेशन या कनवर्टर स्टेशनों के स्थान सहित एक सुझाया गया मार्ग होगा तैयार किया जाएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने का कार्य राष्ट्रीय पारेषण समिति (एनसीटी) द्वारा सीटीयू और बीपीसी नाम की एजेंसियों के बीच रोस्टर बनाकर आवंटित किया जाएगा। किसी भी पारेषण परियोजना के निष्पादन के तरीके के संबंध में वास्तविक निर्णय के बाद, संबंधित सर्वेक्षण रिपोर्ट, खर्च की प्रतिपूर्ति पर सर्वेक्षण के लिए एनसीटी द्वारा नामित एजेंसी से पारेषण परियोजना की बोली लगाने वाली एजेंसी द्वारा प्राप्त की जाएगी।

16. बीपीसी उन्हें आवंटित परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण रिपोर्ट सहित परियोजनाओं की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए व्यय वहन करेगा। बीपीसी इस राशि को उस एजेंसी से वसूल करेगी जो अंततः परियोजना का कार्यान्वयन करती है।

विकासकर्ता का चयन

17. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के तहत विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अभिनिर्धारित परियोजनाओं के लिए विकासकर्ता का चयन पारेषण सेवाओं के लिए ई-रिवर्स बोली के माध्यम से टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा होगा। परियोजनाओं को बिल्ड, ओन, ऑपरेट और ट्रांसफर मोड पर प्रदान किया जाएगा। अंतर-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, 35 वर्षों की अनुबंध अवधि की परिसमाप्ति के बाद, परियोजना की संपत्ति के साथ सबस्टेशन भूमि अधिकार, मार्गाधिकार और मंजूरी के साथ अनिवार्य रूप से सीटीयू या उसके उत्तराधिकारियों या केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के सीओडी से शून्य लागत पर और किसी भी भार और दायित्व से मुक्त होने के 35 वर्षों के बाद तय की गई एजेंसी को हस्तांतरित की जाएगी। हस्तांतरण 35 वर्ष की अनुबंध अवधि की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, जिसमें विफल रहने पर सीटीयू परियोजना की संपत्ति को स्वेच्छा से लेने का हकदार होगा। केविप्रा और सीटीयू (दोनों योजना एजेंसियां) परियोजना के सीओडी के बत्तीसवें वर्ष (32वें) में उस समय के प्रौद्योगिक विकल्पों और प्रणालियों के अध्ययन के आधार पर मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जांच करेंगे। परियोजना को परियोजना के सीओडी से 35 वर्षों के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण और प्रचालन तथा रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता को दिया जा सकता है। यदि सीटीयू द्वारा मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता की जांच करने के लिए कोई लागत खर्च की जाती है, तो उसे चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता से वसूल किया जाएगा।

अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए, परियोजना की परिसंपत्ति के साथ सबस्टेशन भूमि अधिकार, मार्गाधिकार और मंजूरी के साथ, परियोजना की अनुबंध अवधि की समाप्ति के बाद राज्य सरकार द्वारा तय की गई एजेंसी को शून्य लागत पर और बिना किसी ऋणभार और दायित्व के अनिवार्य रूप से हस्तांतरित की जाएगी। राज्यान्तरिक अंतरा-राज्यीय पारेषण परियोजनाओं के लिए अनुबंध की अवधि उपयुक्त आयोग के प्रासंगिक नियमों के अनुसार एलटीटीसी या बीपीसी द्वारा निर्धारित 35 वर्ष या कोई भी अवधि हो सकती है। एसटीयू (योजना एजेंसी होने के नाते), वर्ष में जो परियोजना की समाप्ति से तीन (3) वर्ष पहले है, प्रौद्योगिक विकल्पों और उस समय के अध्ययनों के आधार पर प्रणाली के उन्नयन या मौजूदा प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जांच करेगा। परियोजना को परियोजना की

अनुबंध अवधि के बाद यदि आवश्यकता हुई तो नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण और प्रचालन तथा रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता को दिया जा सकता है। यदि एसटीयू द्वारा मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और परिसंपत्तियों के हस्तांतरण की आवश्यकता की जांच करने के लिए कोई लागत खर्च की जाती है, तो इसे उत्तराधिकारी चयनित बोलीदाता से वसूल किया जा सकता है।

पारेषण के लिए लाइसेंस

18. बोली मूल्यांकन समिति द्वारा चयन की सिफारिश के साथ, एसपीवी, चयनित विकासकर्ता द्वारा अधिग्रहित किए जाने के बाद पारेषण लाइसेंस प्रदान करने और पारेषण प्रभारों को अपनाने के लिए उक्त एसपीवी के संपूर्ण इक्विटी के अधिग्रहण की तारीख से पांच (5) कार्य दिवसों की अवधि के भीतर उपयुक्त आयोग से संपर्क करेगा। यदि यह निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस के लिए आवेदन करने में विफल रहता है, तो यह इसके चयन को रद्द करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऊपरलिखित अनुसार चयन को रद्द करने का कार्य सरकार द्वारा बी.पी.सी. की अनुशंसा पर किया जाएगा। तथापि, इसकी अनुशंसा करने से पहले, बीपीसी चयनित बोलीदाता/टीएसपी को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का अवसर देगा।

परियोजना का विकास, प्रचालन और रखरखाव और अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए पारेषण शुल्क का भुगतान

19. अंतरराज्यीय पारेषण परियोजनाओं हेतु परियोजना के विकास और प्रचालन के लिए नोडल एजेंसी और टीएसपी के बीच एक अलग पारेषण सेवा करार (टीएसए) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, टीएसपी समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियमों के तहत आवश्यक करार (करारों), यदि कोई हो, को भी निष्पादित करेगा, जो आयोग से पारेषण लाइसेंस प्रदान करने की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर होगा।

20. यदि किसी डीआईसी द्वारा पारेषण प्रभारों के भुगतान में कोई चूक होती है, तो उसे समय-समय पर यथा संशोधित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों और हानियों की हिस्सेदारी) विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

राज्य पारेषण परियोजनाएं

21. जहां तक अंतर-राज्यीय परियोजनाओं का संबंध है, राज्य सरकारें इन दिशानिर्देशों को अपना सकती हैं और राज्य के भीतर पारेषण परियोजनाओं की सुविधा के लिए समान समितियों का गठन कर सकती हैं। राज्यों के पास सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत अपने राज्यों में पारेषण प्रणाली के विकास के लिए तत्कालीन योजना आयोग के व्यवहार्यता अंतराल निधीयन (वीजीएफ) आधारित मॉडल पारेषण एग्रीमेंट (एमटीए) दस्तावेज का उपयोग करने का विकल्प भी है।

22. टीएसपी परियोजना के विकास, प्रचालन, रखरखाव और हस्तांतरण के लिए लाभार्थियों के साथ एक पारेषण सेवा करार (टीएसए) करेगा।

परियोजनाओं की निगरानी

23. परियोजना की निगरानी के साथ-साथ पारेषण सेवा करार में अभिनिर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, नोडल एजेंसी निर्माण चरण के दौरान **अनुबंध-2** में इन दिशानिर्देशों में प्रदान किए गए फ्रेमवर्क के अनुसार स्वतंत्र इंजीनियर की नियुक्ति करेगी।

24. टीएसपी मासिक आधार पर केविप्रा, नोडल एजेंसी और स्वतंत्र इंजीनियर को परियोजना और उसके निष्पादन के संबंध में प्रत्येक मूल घटक की संभावित पूर्णता तारीख के साथ प्रगति रिपोर्ट प्रदान करेगा। केविप्रा अपनी सांविधिक जिम्मेदारी के एक भाग के रूप में विद्युत व्यवस्था में सुधार और वृद्धि के लिए परियोजना के समय पर पूरा होने के लिए उसके विकास की निगरानी करेगा।

निरसन और व्यावृत्ति

25. समय-समय पर यथा संशोधित, 13 अप्रैल, 2006 को जारी "पारेषण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देश" एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

26. बशर्ते, कि किसी भी समझौते पर किए गए हस्ताक्षर या यहां की तारीख से पहले की गई कार्रवाई 2006 के उक्त दिशानिर्देशों के ऐसे निरसन से प्रभावित नहीं होगी और इसके तहत निरस्त दिशानिर्देशों द्वारा शासित होती रहेगी।

मृत्युंजय कुमार नारायण, संयुक्त सचिव